

“आदेश”

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, (संख्या-1, वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025-E-33080 दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री रविन्द्र सिंह चौहान	जिलाधिकारी कार्यालय पौड़ी	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड	जनहित

श्री रविन्द्र सिंह चौहान अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री रविन्द्र सिंह चौहान का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

—६०१—
(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड,

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-कृ०नि०/ 26/2 /स्था०अनु०-1/वर्ग-3/वार्षिक स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10/6 2025,
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री रविन्द्र सिंह चौहान अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1, द्वारा जिलाधिकारी पौड़ी।
2. जिलाधिकारी पौड़ी को इस अनुरोध के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री रविन्द्र सिंह चौहान अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1 को आदेश निर्गत होने के 07 के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी स्थापना कृषि निदेशालय।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, सांख्यिकी, कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7. गार्ड फ़ाइल।


(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

“आदेश”

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, (संख्या-1, वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025-E-33080 दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्रीमती कुसुमा	जिलाधिकारी कार्यालय चमोली	जिलाधिकारी कार्यालय टिहरी	जनहित

श्रीमती कुसुमा अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्रीमती कुसुमा अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1 का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

५०१-
(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड,

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-कृ०नि०/ 2613 /स्था०अनु०-1/वर्ग-3/वार्षिक स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10/6/2025,
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमती कुसुमा अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1, द्वारा जिलाधिकारी चमोली।
2. जिलाधिकारी चमोली को इस अनुरोध के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्रीमती कुसुमा अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1 को आदेश निर्गत होने के 07 के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
3. जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को इस अनुरोध के साथ कि श्रीमती कुसुमा अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1 की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, सांख्यिकी, कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7. गार्ड पत्रावली।

(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

“आदेश”

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, (संख्या-1, वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025-E-33080 दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्रीमती आरती मैठाणी	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड	जिलाधिकारी कार्यालय पौड़ी	जनहित

श्रीमती आरती मैठाणी अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्रीमती आरती मैठाणी अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1 का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

—६०१—
(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड,

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-कृ०नि०/ 2614 /स्था०अनु०-1/वर्ग-3/वार्षिक स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10/6/2025,
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमती आरती मैठाणी अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1, कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड को आदेश परिपालनार्थ।
2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी स्थापना कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्रीमती आरती मैठाणी अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1 को आदेश निर्गत होने के 07 के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
3. जिलाधिकारी पौड़ी को इस अनुरोध के साथ कि श्रीमती आरती मैठाणी अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1 की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, सांख्यिकी, कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7. गार्ड फ़ावली।

(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

“आदेश”

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, (संख्या-1, वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025-E-33080 दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री विपिन रतूडी	जिलाधिकारी कार्यालय टिहरी	जिलाधिकारी कार्यालय चमोली	जनहित

श्री विपिन रतूडी अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री विपिन रतूडी अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1 का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

—६०१—
(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड,

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-कृ०नि०/2615 /स्था०अनु०-1/वर्ग-3/वार्षिक स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10/6/2025,
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री विपिन रतूडी अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1, द्वारा जिलाधिकारी टिहरी।
2. जिलाधिकारी टिहरी को इस अनुरोध के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री विपिन रतूडी अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1 को आदेश निर्गत होने के 07 के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
3. जिलाधिकारी चमोली को इस अनुरोध के साथ कि श्री विपिन रतूडी अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1 की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, सांख्यिकी, कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7. गार्ड पत्रावली।


(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

“आदेश”

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, (संख्या-1, वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025-E-33080/दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्रीमती निधि नौटियाल	राजस्व परिषद उत्तराखण्ड	अ०कृ०नि०ग०म०कार्यालय पौड़ी	जनहित

श्रीमती निधि नौटियाल अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्रीमती निधि नौटियाल अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1 का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

~*~
(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड,

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-कृ०नि०/ 2616 /स्था०अनु०-1/वर्ग-3/वार्षिक स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10/6/2025,
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमती निधि नौटियाल अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1, द्वारा आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्रीमती निधि नौटियाल अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1 को आदेश निर्गत होने के 07 के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
3. अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी को इस अनुरोध के साथ कि श्रीमती निधि नौटियाल अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1 की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, सांख्यिकी, कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
6. गार्ड पत्रावली।

(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून